भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3260

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2019

फीस में वृद्धि

†3260.श्री रवनीत सिंहः

श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

श्री एम॰ सेल्वराजः

श्री बैन्नी बेहननः

श्री दीपक अधिकारी (देव):

श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की फीस में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और फीस वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) फीस में वद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई परामर्श किया है कि गरीब और अजा/अजजा के छात्रों पर फीस में वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़े;

(ङ) क्या गैट (जीएटीई) के माध्यम से आने वाले एम॰टेक स्कॉलरों को आईआईटी ने 12400 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका देना बंद करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को फीस बढ़ाने के के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। जहां तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का संबंध है, आईआईटी को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दिनांक 8 अप्रैल, 2016 को आईआईटी में अवरस्नातक कार्यक्रम के लिए ट्यूशन फीस में संशोधन किया गया था।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के हित की सुरक्षा के लिए इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:-

i. एससी/एसटी/पीएच छात्रों को फीस में पूरी छूट दी जाएगी।

ii. आर्थिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 1 लाख रूपये से कम है) को फीस की पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

iii. अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रूपये से 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष के बीच है) को फीस के 2/3 भाग की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

iv. सभी छात्रों को देय ट्यूशन फीस के पूर्ण भाग के लिए विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड.): जी नहीं।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

****